न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।

मूलवाद संख्या 114/2017

कम्प्यूटर संख्या 75/2018

मैसर्स आईटीसी बनाम संतोष मिश्रा आदि।

दिनांक 29.01.2024

वाद पुकारा गया, पत्रावली पेश हुई। वादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री प्राण ओम उपस्थित। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3, 5 ता 14 व 16 ता 21 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

2. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज सं0 41क1 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी द्व ारा प्रतिवादी सं0 15 को पैरवी किए जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी सं0 15 अब वर्तमान पते पर नही रहता है और वादी कंपनी भी छोड़ चुका है। जिस कारण प्रतिवादी सं0 15 को डिलीट किया जाना आवश्यक है।

3. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी सं0 15 को डिलीट किए जाने की याचना की गयी है। उक्त संशोधन साधारण प्रकृति का है, जिससे वाद की प्रकृति नही बदलती है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है। अतः न्यायालय के मत में वादीगण का प्रार्थना–पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है आदेश तदानुसार,

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र हर्जा रूपया 300/– पर स्वीकार किया जाता है। हर्जे की राशि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को देय होगी। वादी को आदेशित किया जाता है कि वाद की अग्रिम नियत तिथि से पूर्व संशोधन करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते प्रस्तावित आपत्ति/सुनवाई हेतु दिनांक 19.02.2024 प्रस्तुत की जाये।

(विवेक सिंह राणा)

सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरिद्वार।